

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा (म0प्र0)

// विविध-आदेश //

क्रमांक 26 / सां0लि0-31 / 2005

हरदा दिनांक 15 / 03 / 2022

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक डी/5112/एक-7-3/2021 (भाग-1) जबलपुर दिनांक 08.10.2021 की कंडिका पांच में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी हरदा की अधिसूचना क्रमांक 399 दिनांक 12.01.2022 के द्वारा वर्ष 2022 के लिये घोषित निम्नलिखित स्थानीय अवकाश न्यायिक जिला स्थापना, हरदा पर कार्यरत हरदा/टिमरनी/खिरकिया के न्यायालयों एवं अनुभागों के लिए भी घोषित किये जाते हैं :-

क्र.	अवकाश का नाम	दिनांक	दिन
01	रंग पंचमी	22 मार्च 2022	मंगलवार
02	भुजरिया (कजलिया)	12 अगस्त 2022	शुक्रवार
03	गोवर्धन पूजा (दीपावली का दूसरा दिन)	25 अक्टूबर 2022	मंगलवार

नोट:- दिनांक 12 अगस्त 2022 दिन शुक्रवार एवं दिनांक 25 अक्टूबर 2022 दिन मंगलवार के अवकाश माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा पूर्व से ही घोषित हैं।

प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा (म0प्र0)

पृ.क्र. 406 (4) / सां0लि0-31 / 2005

हरदा दिनांक 15 / 03 / 2022

प्रतिलिपि-निर्देशानुसार :-

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. न्यायिक अधिकारी (समस्त), हरदा/टिमरनी/खिरकिया की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. अनुभाग (समस्त), हरदा/टिमरनी/खिरकिया की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, हरदा/टिमरनी/खिरकिया की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6. पुलिस अधीक्षक हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
7. कारागार अधीक्षक, जिला कारागार हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
8. सिस्टम ऑफिसर कम्प्यूटर अनुभाग हरदा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विविध आदेश की पी0डी0एफ0 प्रति संबंधित की ओर ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करते हुये न्यायिक जिला स्थापना हरदा की आफिशियल वेबसाईट पर अपलोड करें।

कृते-जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा (म0प्र0)